


INSCRIÇÃO

NOME		NOME COMPLETO			NOME SOBRENOME	
RUA		RUA			RUA	
Cidade		Cidade			Cidade	
UF		UF			UF	
CEP		CEP			CEP	
E-MAIL		E-MAIL			E-MAIL	
TELEFONE		TELEFONE			TELEFONE	
DATA DE NASCIMENTO		DATA DE NASCIMENTO			DATA DE NASCIMENTO	
SEXO		SEXO			SEXO	
ESTADO CIVIL		ESTADO CIVIL			ESTADO CIVIL	
PROFISSÃO		PROFISSÃO			PROFISSÃO	
CURSO		CURSO			CURSO	
SITUAÇÃO		SITUAÇÃO			SITUAÇÃO	

DECLARO que as informações acima são verdadeiras e corretas, sob pena de anulação da inscrição e consequente cancelamento do curso.

Assinatura do(a) candidato(a): _____

Assinatura do(a) responsável legal: _____



837
6/5/15



2. नवम आदेश दिनांक 2/5/15 नं-पा 17/1 भा 5-
4 धारा 142 जीजा - नेवाडा पानना - सिचमररुशकी
वस्तीक - वेण्यरा रोड जनक - वकिम श्री सरवेव राक्षज
नेवादा वरलौं रीपही वकिम वनाश हका लेकपाल
व न्यायालय उपजिमा पिचारी वेण्यरा रोड
जनक वकिम तां पै 2/5/15 *

नोट - पोलिसो वे लाम आदेश की कामाउलि सज्जतई

अवरोध करके उपरोक्त में इस विध्वंस पर चढ़वा दूँ कि इस भूमि में किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं होता है। फलस्वरूप इसे अकृषिक भूमि घोषित किया जाता होगा अंगत है।

आदेश



अब तहसीलदार केवलर रोड की आख्या दिनांक 12.04.2015 को स्वीकार कर्तवी भूमि लेवादा, वरवां ग्री पट्टी, परमला विकेंद्रपुर ग्री, तहसील केवलर रोड के आख्या अर्थात् अर्थात् 1.060 हे०, भूमि अर्थात् 1060 वर्ग मीटर भूमि भी तहसील कर्तवी, लेवादा, वरवां ग्री पट्टी, महिला सम्यक लाल बख्त यादव पुत्र 200 टाउट यादव, लेवादा, वरवां ग्री पट्टी महिला के नाम अकृषिक भूमिगत दर्ज है जो आख्या 143 यू० पी० जेड. एन. आर. एन. के अंतर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा उसे रु० 266500 सालानुवारी में मुक्त किया जाता है। परमला अंगत दरमद जारी है। वाद अकृषिक कर्तवीवादी महिला कर्तवी है।

परमला अकृषिक भूमिगत दर्ज
 आख्या 143 यू० पी० जेड. एन. आर. एन.
 अर्थात् 1.060 हे०
 अर्थात् 1060 वर्ग मीटर
 अर्थात् 1060 वर्ग मीटर
 अर्थात् 1060 वर्ग मीटर
 अर्थात् 1060 वर्ग मीटर

नया अर्थात्
 विधान अर्थात्
 अर्थात् अर्थात् - 275

राजानुज मिता
 अर्थात् अर्थात्
 केवलर रोड






सत्यमेव जयते

1670/22

INDIA NON JUDICIAL


Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	IN-UP30567173854180U
Certificate Issued Date	03-Jul-2022 12:38 PM
Assure Reference	NEWRPAGC (SVV) (B) HISTORICAL BELTHARA ROAD-UP-BAL
Unique Doc. Reference	SUBM-LPUPI4370804855000814877U
Purchased by	SRI HARDEV E AND W TRU N BARKHARATI PATTI TRU MAYA
Description of Document	ANDS 30 Lease
Property Description	MALLA NAWADA TEHSIL BELTHARA ROAD BALLIA
Consideration Price (Rs.)	
First Party	SRI HARDEV D NAWADA BARKHARATI PATTI MA LALBACHAN
Second Party	SRI HARDEV E AND W TRU N BARKHARATI PATTI TRU MAYA
Stamp Duty Paid By	SRI HARDEV E AND W TRU N BARKHARATI PATTI TRU MAYA
Stamp Duty Amount (Rs.)	1,200 (One Thousand Two Hundred only)

LOCKED



सत्यमेव जयते

भारत

0008125210

Important Note

This e-stamp certificate is generated by the Government of Uttar Pradesh. It is valid only for the purpose of stamp duty payment. It is not valid for any other purpose. The Government of Uttar Pradesh is not responsible for any loss or damage caused by the use of this e-stamp certificate.





लीजडीड

लीज की अवधि	वार्षिक किराया	स्टाम्प
30 वर्ष	10,000.00	1200.00

एग कि ई लालबचन यादव पुत्र स्व० हरदेव यादव साकिन-नेवादा, पो०-बरवाँ रत्ती पट्टी परगना-सिकन्दरपुर गरी, तहसील-बेल्वाराटेक जनपद-बलिया, द्वारा प्रबन्धक-श्री हरदेव कालेज नेवादा, बरवाँ रत्ती पट्टी, बलिया। पेशा-समाजसेवा अध्यापक संख्या-XXXX XXXX 5430 व बैंक कार्ड संख्या-ACQPY2017H मो०-9415392834 है।

.....(प्रथम पक्ष)

व

श्री हरदेव एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
नेवादा बरवाँ रत्ती पट्टी, बलिया के द्वारा मुख्य दस्तावेज-श्रीमती

लालबचन यादव

माय्या

()

()

माया यादव मल्की श्री जालकधन यादव साकिन-नेवादा पोस्ट-बराही
रस्ती पदटी, परगना-शिकन्दरपुर गावी, तहसील-बेस्थराहोड,
जिला-बलिया,(उ०प्र०) पेशा-समाजसेवा ,जन्म संख्या-XXXX XXXX
8716 व पैन कार्ड संख्या-AEDPY6-430P पोस्ट-8858849155 है।

—(द्वितीय पक्ष)

विदित हो कि प्रथम पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति की शारिक, काबिज
अन्तरेण सम्बन्धी समस्त अधिकार संहित है। यह सम्पत्ति हर प्रकार को
भार, बाधा, बन्धक एवं विक्रय अनुबन्ध से मुक्त है। द्वितीय पक्ष को इसकी
जागरूकता है। द्वितीय पक्ष उक्त भूमि में अपना विज्ञान कार्य को संचालन
हेतु इसे 30 वर्ष के लिए लीज पर लेना चाहती है। प्रथम पक्ष लीज पर देने
हेतु सहमत है। अतएव दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों से आवद्ध होकर इस
लीजडीड का निष्पादन कर रहे हैं।

जालकधन यादव

माया

Section 1: ...

... ..

... ..

...

... ..

... ..

...

...

...



... ..

... ..

...

... ..

...

... ..

... ..

...

...

...



... ..

... ..

...

...



... ..



... ..

—:: 04 ::—

1. यह कि लीज की अवधि 30 वर्ष की होगी जो कि दिनांक—02.07.2022 से प्रारम्भ होगी दिनांक—01.07.2052 को समाप्त होगी।
2. यह कि उक्त भूमि/भवन का वार्षिक किराया 10,000.00 (दस हजार) रुपये है। जिसका प्रीमियम मूल्य—3,00,000.00 (तीन लाख) रुपये होता है। किराया की भुगतान प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष समस्त-समस्त पर अदा किया जाएगा।
3. यह कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को लीज पर दी गई सम्पत्ति से उपरोक्त अवधि तक केदखल नहीं करेगा।

हस्ताक्षर ५/१९

मिस्टर


SECRET

SECRET

Page 1 of 1

SECRET

SECRET



SECRET

SECRET

SECRET



4 यह कि लीज की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात द्वितीय पक्ष लीज पर ही गई सम्पत्ति से अपना कर्जदा तद्वत्त उद्योग प्रथम पक्ष को पूर्ण की शक्ति कायम करा देवे।

5 यह कि किराये में उल्लेखित 30 वर्ष की अवधि तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

6 यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा भूमि में प्रस्तावित मक (विद्यालय सम्भालन व खेल का मैदान) में ही उसके उपयोग में लावेगा; जिसमें सारी तरफ सार्वजनिक, नल व शौचालय व निर्मित भवन आदि है।

प्राप्तकर्ता २०१९

२०१९

7 यह कि उपरोक्त भूमि को द्वितीय पक्ष सुविधानुसार रद्दी नदाल करेगा, प्रथम पक्ष कोई आपत्ति नहीं होगी, तथा उपरोक्त सभी रईय सम्बन्धी व इनके उत्तराधिकारियों को शर्देय मान्य होंगी। विवरण सम्पत्ति जो लीज पर दी गई स्थल मौजा-नवादा परगना-सिकन्दरपुर गरी, के आ०नं०-12 रकबा-1.080हे० जो 11742 वर्ग मीटर के बराबरभूमि लीज पर दे रहे है। जिसकी चौहद्दी पूरब-खेत हरिन्द आदि पश्चिम-सडक वादहू खेत सिवनरायण आदि उत्तर-खेत कौलाग आदि दक्षिण-सडक वादहू खेत सुरेन्द सिंह का है। उक्त सम्पत्ति वाणिज्यक है एवं जमींदारी विनाश अधिनियम की परिधि के बाहर है। इसलिये प्रथम पक्ष लीज पर देने हेतु अधिकृत है उक्त सम्पत्ति धार्मिक क्षेत्र की है उभय पक्ष भारतीय नागरिक है। अनुसूचित जाति या जनजाति

जयपुर १९५९

मार्जा

का नहीं है। अतएव अपने स्वस्थ मन व विता से और स्वयं से यह लीजट्रीट लिख दिया कि सन्द री व कला सनप पर काम आवे। यदि उपरोक्त लीज के कवात को मुख्य गलत पाया गया तथा कोई तथ्य दिखाया गया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लीजकर्ता/लीज प्रहिता की होगी।

गवाहान-

1. शिवलाल मादन पुत्र विन्यासल मादन
साठ-गोठ-बल्ली रानी पट्टी
तहसील-बेल्यारोड, बलिया।
पेता-कृषि, पीठ-7233037031



2. विजयलाल मादन पुत्र लाल हरिद्वार मादन
साठ-रागापट्टी तारपुर
तहसील-बेल्यारोड, जनपद-बलिया।
पेता-कृषि, पीठ-8434401757



टाईशकर्ता- इभाकर
तहसील-बेल्यारोड, बलिया।

महाराष्ट्र सरकार

मसफिदाकर्ता-

मदन शर्मा, एडवोकेट

तहसील-बेल्यारोड, बलिया।

दिनांक-

माघ

19/1/2022

1-A, B

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
W.P.(C) 1143/2020 & CM APPL. 16756-57/2020
ARCHANA PHARMACY COLLEGE Petitioner
Through Mr. Chandu Shekar Singh, Adv.
versus
PHARMACY COUNCIL OF INDIA Respondent
Through Mr. Zohab Hussain, Adv.

CORAM

HON'BLE MR. JUSTICE JAYANT NATH

ORDER

% 29.07.2020

This hearing is conducted through Video-Conferencing.

CM No. 16756/2020 & CM APPL. 16757/2020

Allowed subject to all just exceptions.

W.P.(C)1843/2020

Issue notice. Learned counsel for the respondent accepts notice.

It is noted that connected matters are coming up on 7.8.2020 in the main list.

List on 07.08.2020 along with W.P.(C) No.12348/2019 titled *Jagwanth Institute of Pharmacy vs. Pharmacy Council of India & Anr* in the main list.

The matter be listed in the main list and set through Video Conferencing.

JAYANT NATH, J.

JULY 29, 2020/s

W.P.(C) 4144/2020,	W.P.(C) 4146/2020,	W.P.(C) 4148/2020,
W.P.(C) 4151/2020,	W.P.(C) 4152/2020,	W.P.(C) 4153/2020,
W.P.(C) 4154/2020,	W.P.(C) 4159/2020,	W.P.(C) 4160/2020,
W.P.(C) 4161/2020,	W.P.(C) 4162/2020,	W.P.(C) 4163/2020,
W.P.(C) 4184/2020,	W.P.(C) 4196/2020,	W.P.(C) 4200/2020,
W.P.(C) 4202/2020,	W.P.(C) 4204/2020,	W.P.(C) 4215/2020,
W.P.(C) 4216/2020,	W.P.(C) 4217/2020,	W.P.(C) 4226/2020,
W.P.(C) 4227/2020,	W.P.(C) 4228/2020,	W.P.(C) 4229/2020,
W.P.(C) 4230/2020,	W.P.(C) 4231/2020,	W.P.(C) 4245/2020,
W.P.(C) 4250/2020,	W.P.(C) 4255/2020,	W.P.(C) 4256/2020,
W.P.(C) 4257/2020,	W.P.(C) 4258/2020,	W.P.(C) 4259/2020,
W.P.(C) 4260/2020,	W.P.(C) 4261/2020,	W.P.(C) 4262/2020,
W.P.(C) 4263/2020,	W.P.(C) 4264/2020,	W.P.(C) 4265/2020,
W.P.(C) 4266/2020,	W.P.(C) 4267/2020,	W.P.(C) 4268/2020,
W.P.(C) 4273/2020,	W.P.(C) 4278/2020,	W.P.(C) 4279/2020,
W.P.(C) 4280/2020,	W.P.(C) 4281/2020,	W.P.(C) 4282/2020,
W.P.(C) 4283/2020,	W.P.(C) 4284/2020,	W.P.(C) 4285/2020,
W.P.(C) 4324/2020,	W.P.(C) 4325/2020,	W.P.(C) 4326/2020,
W.P.(C) 4327/2020,	W.P.(C) 4328/2020,	W.P.(C) 4329/2020,
W.P.(C) 4330/2020,	W.P.(C) 4331/2020,	W.P.(C) 4332/2020,
W.P.(C) 4333/2020,	W.P.(C) 4334/2020,	W.P.(C) 4335/2020,
W.P.(C) 4336/2020,	W.P.(C) 4369/2020,	W.P.(C) 4370/2020,
W.P.(C) 4371/2020,	W.P.(C) 4374/2020,	W.P.(C) 4376/2020,
W.P.(C) 4433/2020,	W.P.(C) 4434/2020,	W.P.(C) 4435/2020,
W.P.(C) 4437/2020,	W.P.(C) 4439/2020,	W.P.(C) 4440/2020,
W.P.(C) 4467/2020,	W.P.(C) 4468/2020,	W.P.(C) 4469/2020,
W.P.(C) 4470/2020,	W.P.(C) 4471/2020,	W.P.(C) 4472/2020,
W.P.(C) 4473/2020,	W.P.(C) 4474/2020,	W.P.(C) 4476/2020,
W.P.(C) 4477/2020,	W.P.(C) 4498/2020,	W.P.(C) 4499/2020,
W.P.(C) 4500/2020,	W.P.(C) 4501/2020,	W.P.(C) 4502/2020,
W.P.(C) 4503/2020,	W.P.(C) 4504/2020,	W.P.(C) 4505/2020,
W.P.(C) 4506/2020,	W.P.(C) 4507/2020,	W.P.(C) 4508/2020,
W.P.(C) 4520/2020,	W.P.(C) 4535/2020,	W.P.(C) 4536/2020,
W.P.(C) 4549/2020,	W.P.(C) 4550/2020,	W.P.(C) 4551/2020,
W.P.(C) 4570/2020,	W.P.(C) 4596/2020,	W.P.(C) 4638/2020,
W.P.(C) 4610/2020,	W.P.(C) 4641/2020,	W.P.(C) 4642/2020,
W.P.(C) 4643/2020,	W.P.(C) 4644/2020,	W.P.(C) 4645/2020,
W.P.(C) 4646/2020,	W.P.(C) 4647/2020,	W.P.(C) 4648/2020,

8

W